FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. **District (जिला):** JAIPUR CITY (NORTH) **P.S. (थाना):** VIDYADHARNAGAR **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0375 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 22/08/2025 16:52 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	349(a)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
5	सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	66D

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. Day(दिन): दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 22/08/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:34 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/08/2025 **Time (समय):** 16:34 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 050 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 22/08/2025 16:34:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** उत्तर - पश्चिम, 1.5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** सन एन मून, रिद्धि सिद्धि टावर

(b) **Address(पता):** SUN AND MOON BUILDING, SEC.05, SIKAR ROAD,VIDYADHAR NAGAR,, JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MANMOHAN SHARMA

(b) Father's Name (पिता का नाम): SHRI PAWAN KUMAR SHARMA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1999 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	F9 GANESH VIHAR, NANGAL, PUROHIT, SIKAR ROAD, JAIPUR, HARMARA, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	F9 GANESH VIHAR, NANGAL, PUROHIT, SIKAR ROAD, JAIPUR, HARMARA, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-7240503211

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

माननीय न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, कम 9, जयपुर महानगर - द्वितीय, जयपुर। 168/2025 परिवाद संख्या 168/2025मनमोहन शर्मा, पुत्र श्री पवन कुमार शर्मा, निवासी F-9 गणेश विहार, नांगल पुरोहित, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान 302032प्रार्थी/परिवादी बनाम1. XPO (Xeno Portfolio) जरिये निवेशक / नेतृत्वकर्ता रजत शर्मा पुत्र श्री श्रीराम शर्मा, उम्र 33 वर्ष, निवासी जी-16, केड़िया दा आक्सीजन, रंगोली गार्डन रोड़, महाराणा प्रताप, वैशाली नगर, जयपुर, राज 2. मंगलेश शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र 43 वर्ष, मूल निवासी-ग्राम कांवट, जिला सीकर, राजस्थान, निवासी-133,श्री वैष्णव विहार, नांगल जैसा बोहरा, जयपुर राज.-302012 हाल निवासी डी-54, अम्बाबाड़ी जयपुर, राज.परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 210, सहपठित धारा 175 (3) बी. एन. एस. एस. जाप्ता फौजदारी अपराध अंतर्गत धारा 318, 316, 61, 349 बी. एन. एस. आईटी एक्ट 66 डी पुलिस थाना - विद्याधर नगर, जयपुर महोदय, प्रार्थीया / परिवादिया का परिवाद पत्र निम्न प्रकार पेश है -1.यह की मनमोहन शर्मा, पुत्र श्री पवन कुमार शर्मा, निवासी F-9, गणेश विहार, नांगल पुरोहित, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान 302013 के एक जिम्मेदार नागरीक है और जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थाई रूप से निवास करता है व अभियुक्त संख्या 2 से पूर्व-परिचित है। 2.यह कि मार्च 2025 में अभियुक्त संख्या 2 ने परिवादी को XPO नामक एक निवेश योजना के बारे में बताया व अभियुक्त संख्या 2 ने परिवादी को अत्यंत आलीशान जीवनशैली दिखाकर, जिसमें करोड़ों रुपयों की गाड़ियों (जगुआर, मर्सिडीज, BMW इत्यादि जिनका सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर 9900 है) और विदेशी यात्राओं की संख्या भी शामिल थी, XPO में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करने के लिए लगातार दबाव डाला और उसके बाद अभियुक्त संख्या 2 ने अपनी कम्पनी की वेबसाइट दिखाकर व मौखिक रूप से यह प्रलोभन दिया गया कि यह एक रशियन-बेस्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और इसमें हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपर्ट के द्वारा आपके द्वारा लगाए गए पैसों को हमारे एक्सपर्ट निवेश करते हैं और बहुत बड़े रूप में मुनाफा अर्जित करते हैं। आगे यह भी दावा किया गया कि कंपनी विश्व के कई देशों में कार्यरत है और कंपनी में कई देशों के निवेशकों ने अपनी पूंजी निवेश की है। उक्त कम्पनी द्वारा हमारे किए गए निवेश पर प्रति सप्ताह एक निश्चित प्रतिशत मुनाफा (लगभग 4 से 6 प्रतिशत प्रतिमाह) हमें दिया जाएगा। उक्त कम्पनी द्वारा अपनी अधिकृत वेबसाइट पर यह दर्शाया गया है कि उनकी कम्पनी में लगभग 37 लाख लोगों ने निवेश किया है और इन्हीं निवेशकों द्वारा लगभग 3,37,02,59,476/- सवा तीन अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश (ट्रेडिंग) बताया गया है, यानि 2,91,52,32,83,969 भारतीय रुपये, इसी के साथ उक्त कम्पनी द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि लगभग 1,87,54,70,60/- (अक्षरे एक अरब सत्यासी करोड़ चौवन लाख सत्तर हजार साठ डॉलर) की रकम उक्त कम्पनी द्वारा अपने सदस्यों को मुनाफे के रूप में बांट दी गई है। 3.यह कि अभियुक्त संख्या 1 द्वारा एक XPO (Xeno Portfolio) ट्रैडिंग कंपनी सन्चालित कर सुव्यवस्थित आपराधिक षड्यंत्र के तहत वेबसाइट XPO.RU के माध्यम से भारतीय नागरिकों के साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी,अनधिकृत सामूहिक निवेश योजना,धन शोधन (Money Laundering) करते है। 4.यह कि अभियुक्त संख्या 2 ने XPO और अपने गुरु अभियुक्त संख्या 1 के बारे में कई बातें परिवादी को बताई व अपने फोन से अभियुक्त संख्या 1 से परिवादी की बात करवाकर उक्त स्किम में निवेश करने को कहा व अभियुक्त संख्या 1 ने अपने आप को उक्त कम्पनी का मुख्य वित्तीय सलाहकार और भारतीय हिस्सेदार रींगस, जिला सीकर, निवासी बताया। 5.यह कि अभियुक्त संख्या 2 के बार-बार दबाव डालने पर परिवादी ने XPO ट्रैडिंग कंपनी में रजिस्ट्रेशन कर लिया तथा राशि 1,50,000 /- अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये नगद अभियुक्त संख्या 2 को उक्त कम्पनी में निवेश करने के लिए दिनांक 20/03/2025 को सन एण्ड मून बिल्डिंग के नीचे, सीकर रोड, विद्याधर नगर, जयपुर दे दिये। 5.यह कि उक्त नकद राशि प्राप्त करने के उपरांत, आरोपी मंगलेश शर्मा XPO पोर्टल पर परिवादी की आईडी बनाने और उसमें निवेशित राशि को अपडेट करने में लगातार विफल रहे। मेरे द्वारा बार-बार अपनी आईडी और निवेश की स्थिति के बारे में पूछताछ करने पर, मुझे मार्च क्लोजिंग जैसे अस्पष्ट और निराधार बहाने दिए गए। आज दिनांक तक भी मेरी XPO आईडी में उक्त 1,50,000/- की राशि अपडेट नहीं की गई है। 6.यह कि परिवादी ने उक्त कम्पनी में निवेश करने पश्चात अपने मित्रों व परिचित से उक्त कम्पनी के विषय में चर्चा की तब परिवादी को पता चला की उक्त कम्पनी धन शोधन (Money Laundering) करते है तब परिवादी को ज्ञात हुआ कि अभियुक्त संख्या 1 जो स्वयं को एक वित्तीय सलाहकार और उद्यमी के रूप में प्रस्तुत करता है तथा वेबसाइट www.rajatsharma9900.com का संचालन करता है, वह वास्तव में भारतीय

नागरिकों के साथ की जा रही इस बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी का मुख्य षड्यंत्रकारी और सूत्रधार (Mastermind) है। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा ही स्थानीय सहयोगियों जैसे अभियुक्त संख्या 2 के माध्यम से भारतीय नागरिकों को एक अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म / वेबसाइट, जिसका www.xpo.ru है, के माध्यम से ठगा जा रहा है। 7.यह कि अभियुक्त संख्या 1 और उनके स्थानीय सहयोगी द्वारा, अपने प्रभाव और XPO.RU के माध्यम से, निवेशकों को विभिन्न आकर्षक योजनाओं का झूठा वादा करके, विशेष रूप से साप्ताहिक या मासिक उच्च प्रतिशत रिटर्न (10 से 20 प्रतिशत प्रतिमाह) का लालच देकर, उनसे भारी मात्रा में धन की उगाही कर रहे हैं। यह कार्यप्रणाली एक स्पष्ट और अनधिकृत सामूहिक निवेश योजना (Collective Investment Scheme CIS) की प्रकृति की है, जिसके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) या किसी अन्य भारतीय संस्था या बोर्ड से किसी भी प्रकार का अनुमोदन या पंजीकरण नहीं लिया गया है। 8.यह कि सबसे जघन्य और संदिग्ध बात यह है कि अभियुक्त संख्या 1 के निर्देशन में यह प्लेटफॉर्म भारतीय नागरिकों से निवेश राशि सीधे उनके अकाउन्ट से न लेकर, नगद रूपये लेकर उनको USDT (Tether) क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित कर अपनी उक्त वेबसाईट पर निवेश के रूप में प्राप्त कर रहा है। USDT के माध्यम से धन का लेन-देन, बिना किसी उचित नियामक निगरानी और भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए, धन शोधन (Money Laundering) की गतिविधियों का एक स्पष्ट संकेत है। 9.यह कि यह सुव्यवस्थित धोखाधड़ी पिछले कई वर्षों से सक्रिय है और ऐसी कई कम्पनीयों ने भारत के लाखों भोले-भाले नागरिकों को निशाना बनाया है, जिससे उन्हें अपनी मेहनत की कमाई गंवानी पड़ी है। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा संचालित यह कार्यप्रणाली पूर्व में भारत में हुई अन्य बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों/व्यक्तियों के समान है, जिन्होंने इसी तरह के आकर्षक वादे करके भारतीय धन को USDT या क्रिप्टोकरेंसी के रूप में लूटा और फिर रातों-रात गायब हो गई। (संलग्न) 10. यह कि इसके बाद जब परिवादी ने परिचित एक आईटी विशेषज्ञ से इस वेबसाइट का जिक्र किया और इसके बारे में जानकारी जुटाई, तब परिवादी को यह ज्ञात हुआ कि इस वेबसाइट का डोमेन रजिस्ट्रेशन दिनांक 13 नवम्बर 2018 को लिया गया व दिनांक 13 नवम्बर 2025 को खत्म होने जा रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उक्त वेबसाइट का एड्रेस दिनांक 13 नवम्बर 2025 के बाद से सक्रिय नहीं रहेगा व उक्त वेबसाइट एड्रेस XPO.RU हमेशा हमेशा के लिए भारतीय निवेशकों का पैसा लेकर गायब हो जाएगी। उक्त वेबसाइट की ऑडिट की गई, तब उक्त कम्पनी का पता रसिया (देश) होना दर्शाया गया व 7(991) 8559-000 फोन नंबर होना बताया गया। इस उक्त पते का जब गूगल स्ट्रीट से वेरीफाई किया गया जिसकी फोटो संलग्न है, तब ज्ञात हुआ कि उक्त तथाकथित वेबसाइट पर दिखाई गई सभी कर्मचारी झूठ व AI द्वारा निर्मित हैं, व जिनका कहीं भी कोई रिकार्ड व अनुभव गुगल व अन्य प्लेटफार्म पर नहीं मिलता है व उक्त वेबसाइट का ट्रैफिक सोर्स ऑडिट किया गया, तब इस वेबसाइट पर 100 प्रतिशत यूजर ट्रैफिक भारतीय था । 11.यह कि इससे यह साबित होता है कि यह कंपनी एक भारतीय कंपनी / भारतीय नागरिक द्वारा भारतीय लोगों को झूठा प्रलोभन देकर उनसे रुपए हड़पने की नीयत से वर्ष 2018 से शुरू की गई थी व उक्त कम्पनी के रजिस्ट्रेशन की जांच की गई तब पता चला कि इनका रजिस्ट्रेशन ज़ीनो पोर्टफोलियो नामक कंपनी के माध्यम से है, जो की एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसे उनके द्वारा तीन रजिस्ट्रेशन लिये गये है व कम्पनी 2023 व 2024 में ही रजिस्टर्ड हुई थी। 12.यह कि उक्त कम्पनी द्वारा यह दावा करना कि यह एक विश्वविख्यात कंपनी है, परंतु आज दिनांक तक कभी भी इसके किसी भी सोशल मीडिया हैंडल व वेबसाइट पर भारतीय नागरिकों के अलावा कोई भी विदेशी नागरिक की फोटो व वीडियो आज दिन तक प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, नहीं कहीं अभियुक्त संख्या 1 द्वारा यह प्रेषित किया गया है कि उक्त कम्पनी में उनसे ऊपर भी कोई वित्तीय सलाहकार मौजूद है। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा हमेशा ही खुद स्वयं को भारत का प्रथम व मुख्य उक्त कम्पनी का मुख्य सलाहकार व निवेदक प्रदर्शित किया गया है व बताया गया है कि मेरे साथ 1,70,000 लोग मिलकर निवेश करवा रहे हैं, जो समय-समय पर मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से आम लोगों को ऊंचे प्रलोभन दिखाकर, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर, अपनी लग्जरी ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, रोल्स रॉयस व अन्य प्रकार की लग्जरी कारें, गोल्ड ज्वेलरी व ब्रांडेड कपड़े दिखाकर, गाडियां दिखाकर व अपना वेबसाइट पर अप्रमाणित पोर्टफोलियो दिखाकर लोगों को करोड़ों रुपए कमाने का झांसा देकर उनसे उनकी खून पसीने की कमाई का निवेश करवा रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। 13. यह कि इस गंभीर आपराधिक कृत्य के संबंध में, परिवादी द्वारा पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर में दिनांक 03/07/2025 को एक लिखित शिकायत दी गई परंतु दुर्भाग्यवश, पुलिस थाना, विद्याधर नगर के अधिकारियों ने परिवादी की शिकायत पर कोई उचित एवं वैधानिक कार्रवाई नहीं की और दिनांक 18/07/2025 को पुनः परिवादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. पुलिस थाना विद्याधर नगर को एक लिखित शिकायत / आवेदन प्रस्तुत किया था (प्रति संलग्न) परंतु आज दिन तक परिवादी को न्याय नहीं मिल पाया। यह कि दुर्भाग्यवश, पुलिस थाना, विद्याधर नगर के अधिकारियों ने परिवादी की शिकायत पर कोई उचित एवं वैधानिक कार्रवाई नहीं की और न ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175(3)BNSS के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की। पुलिस ने इस गंभीर संज्ञेय आपराधिक मामले में कोई जांच शुरू नहीं की, जो उनकी ओर से लापरवाही या जानबूझकर की गई निष्क्रियता को दर्शाता है, जिससे परिवादी को न्याय से वंचित होना पड़ा है। 14.यह कि परिवादी ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दिनांक 18/07/2025 को एक लिखित शिकायत ज्ञापन भेजा था, जिसमें उपरोक्त तथ्यों का विस्तृत उल्लेख था और वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन

दुर्भाग्यवश, उस पर भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। यह कि अभियुक्त गण के उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316, धारा 318, धारा 61, धारा 349 व आईटी एक्ट 66 ही के तहत स्पष्ट रूप से दंडनीय गंभीर एवं संज्ञेय अपराध हैं, और माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि वह इन अपराधों का तत्काल संज्ञान ले। 15. यह कि परिवाद पत्र निर्धारित न्यायशुल्क पर पेश है। 16. यह कि उक्त परिवाद पत्र के अलावा अन्य किसी न्यायलय में प्रस्तुत नहीं किया है।17. यह कि परिवाद अन्दर मियाद पेश है। अतः श्रीमान न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद पत्र स्वीकार कर पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर में अन्तर्गत धारा में अनुसंधान हेतु 175(3) में अनुसंधान हेतु भिजवाया जाकर प्रकरण दर्ज कर अभियुक्त के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जावे व कोई अन्य न्यायोचित आदेश जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित एवं आवश्यक समझे, प्रदान किया जाए, ताकि परिवादी को पूर्ण न्याय मिल सके।दिनांक 30/9/25 परिवादी (मनमोहन शर्मा)---------कार्यवाही पुलिस-------प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त इस्तगासा धारा अन्तर्गत 175(3)BNSS में अदालत श्रीमान न्यायाल महानगर मजि.क्रम-9जयपुर महानगर ॥से जरीये डाक परिवादी मनमोहन शर्मा, पुत्र श्री पवन कुमार शर्मा, निवासी F-9 गणेश विहार, नांगल पुरोहित, सीकर रोड, जयपुर विरुद्व XPO निर्देशक रजत शर्मा व मंगलेश शर्मा का थाना हाजा पर प्राप्त हुआ। मजमून रिपोर्ट इस्तगासा की नकल सीसीटीएनएस कम्प्यूटर में अक्षर सः अक्षर की गई। मजमून से मामला अपराध धारा 318(4),316(2),349(a),61(2) BNS एंवम 66D IT ACT का वकू में आना पाये जाने पर अभियोग पंजीबद्व किया जाकर तफतीश श्री राकेश ख्यालिया पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी महोदय के जुम्मे की गई FIR No.CCTNS सॉफ्टवेयर में दर्ज होेने पर पृथक से अंकित किये जावेगे।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Rakesh Khyaliya **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Hanuman Sahai Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 22/08/2025 16:55:02

Name(नाम): Hanuman sahay

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.):